

विषय:-

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित योजनाओं में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के संसोधन/अधिसूचित करने के संबंध में।

क्या मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 तथा इस कार्यालय के अ०श० क्रमांक 313-स.क.(1)-2022 दिनांक 20.06.2022 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. इस सम्बन्ध में आपको अनुरोधपूर्वक सूचित किया जाता है कि आप द्वारा दिनांक 09.05.2022 को अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की 07 स्कीमों को सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना को पुनः अधिसूचित किया गया था, जिनमें से इस कार्यालय के अ०श० क्रमांक 313-स.क.(1)-2022 दिनांक 20.06.2022 द्वारा उत्कृष्ट कार्यो के लिए ग्राम पंचायत प्रोत्साहन योजना को डिनोटिफाई करवाने के लिए आपसे अनुरोध किया गया था। शेष 03 स्कीमों में द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी निदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को नियुक्त किया गया है। अब विभाग द्वारा निम्न स्कीमों में द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी निदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के स्थान पर सम्बन्धित जिले का मण्डल आयुक्त को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 में अधिसूचित योजनाओं में द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को निम्न अनुसार संशोधित/अधिसूचित कर दिया जाये।

हिन्दी

क्र० सं०	विभाग का नाम	योजना का नाम	निर्धारित समय	नामित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा	अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक सहायता	07 दिन	सम्बन्धित जिले का जिला कल्याण अधिकारी	सम्बन्धित जिले का उपायुक्त	सम्बन्धित जिले का मण्डल आयुक्त
2	अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा	मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना	20 दिन	सम्बन्धित जिले का जिला कल्याण अधिकारी	सम्बन्धित जिले का उपायुक्त	सम्बन्धित जिले का मण्डल आयुक्त
3	अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा	कानूनी सहायता	10 दिन	सम्बन्धित जिले का जिला कल्याण अधिकारी	सम्बन्धित जिले का उपायुक्त	सम्बन्धित जिले का मण्डल आयुक्त

English

Sr. No.	Name of the Department	Name of Scheme	Given Time Limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievance Redressal Authority
1	Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana	Monetary Relief to Victims of Atrocities	07 days	District Welfare officer of the Concerned District	Deputy Commissioner of the Concerned District	Divisional Commissioner of the Concerned District.

2	Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana	Mukhya Mantri Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojana	20 days	District Welfare officer of the Concerned District	Deputy Commissioner of the Concerned District	Divisional Commissioner of the Concerned District
3	Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana	Legal Aid	10 days	District Welfare officer of the Concerned District	Deputy Commissioner of the Concerned District	Divisional Commissioner of the Concerned District

-3d-

उप अधीक्षक (स.क.)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

(प्रशासकीय सुधार विभाग में)।

अशा: क्रमांक: 364-स.क.(1)-2022

दिनांक चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2022

पृष्ठांकन क्रमांक: 364-स.क.(1)-2022

दिनांक चण्डीगढ़ 07 जुलाई, 2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. आयुक्त, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, चण्डीगढ़।
2. सभी मण्डल आयुक्त हरियाणा राज्य में।
3. महानिदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न0 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पचंकूला।
4. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
5. सभी अतिरिक्त उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
6. उप निदेशक (स्कीम), अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न0 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पचंकूला।
7. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
8. सभी सम्बन्धित शाखाएं, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, बेज न0 53-54, कल्याण भवन, सैक्टर-2, पचंकूला।

किरोलीन कार

उप अधीक्षक (स.क.)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

IT Cell

Received
4/07/22 10:50 AM